राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 84 / SEIAA/2022
Date: 9/4/22

प्रति,

कलेक्टर ,
जिला– जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **प्रकरण कमांक 8948/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री रूपलाल कोल आत्मज श्री प्रेमलाल कोल, निवासी ग्राम तेमर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 142/5, रकबा 1.60 हेक्टेयर, ग्राम अमझेर, तहसील कुदंम, जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण SEAC समिति द्वारा 557वी बैठक दिनांक 03.03.2022 में अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 713 वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जबलपुर का पत्र क्र. 3063 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत होना बताया गया है जिसका कुल रकबा 1.800 है। यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार कई अन्य खदान होना भी परिलक्षित है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जबलपुर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस मे सिया कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 85 /SEIAA/2022 दिनांक – 9/4/22

प्रतिलिपिः–

1. श्री रूपलाल कोल आत्मज श्री प्रेमलाल कोल, निवासी ग्राम तेमर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) को सूचनार्थ।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी